## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना सं. 17/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

- (i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;
- (ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

(क) ''रेडियो टैक्सी'' से ऐसी टैक्सी जिसमें रेडियो कैब जो किसी भी नाम से पुकारी जाए, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय से जो मार्गीय रेडियो संचार है तथा ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) प्रयोग करने के लिए सक्षम है, अभिप्रेत है:

(ख) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब" और "मोटर साइकिल" का वहीं अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ३३४/१/२०१७-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार